रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2015/वैशाख 7, 1937
No. 261] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2015/VAISAKHA 7, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 322(अ).- केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) धारा 59 की उपधारा (1) धारा 44 और धारा 45 के साथ पठित उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) संशोधन नियम 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 के नियम 3 के उपनियम (2) के परंतुक में "30 अप्रैल, 2015 को या उसके पूर्व" शब्दों और अंकों के स्थान पर "15 अक्तूबर, 2015 को या उसके पूर्व" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV (बी)]

जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 501(अ), तारीख 14 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 638(अ) तारीख 8 सितंबर, 2014 और सा.का.नि. 918(अ) तारीख 26 दिसंबर, 2014 द्वारा संशोधन किया गया था।